न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 149/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

बेअन्त सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, निवासीग्राम आसनबाग, हरबर्टपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

बनाम

1. श्रीमती राजबाला जायसवाल पत्नी जयभगवान जायसवाल, निवासी देहरादून रोड, हरबर्टपुर, जिला देहरादून।

2.हरभजन सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिंह, निवासी ग्राम आसनबाग, वर्तमान नया गांव जमीनपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

3.नगर पंचायत हरबर्टपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा अधिशासी अधिकारी।

उपस्थित	: श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता	: श्री रमाकान्त रोहिला।
अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या– 01	: श्री दिनेश तिवारी।
अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या–03	: श्री ऋषिपाल सिंह बिष्ट (अनुपस्थित)

निर्णय

यह निगरानी तहसीलदार, विकासनगर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–44/2015–16 (मूल वाद संख्या–2752/2007) बेअन्त सिंह बनाम राजबाला में पारित निर्णयादेश दिनांक 18–04–2016 के विरूद्व योजित की गई है।

इस निगरानी का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है कि :–

उत्तरदात्री संख्या–01/वादी श्रीमती राजबाला द्वारा वादग्रस्त भूमि खाता संख्या–1041 खसरा नम्बर 3012/1 रकबा 0.024 है0 उत्तरदाता संख्या–02/विक्रेता से प्राप्त विक्रय पत्र दिनांक 12–01–2017 के आधार पर नामान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उद्घोषणा जारी होने के उपरान्त कोई आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप विद्वान तहसीलदार, विकासनगर द्वारा निर्णयादेश दिनांक 21–04–2007 से नामान्तरण स्वीकार किया गया। नामान्तरण आदेश दिनांक 21–04–2007 के विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 12–06–2007 इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर आबादी बनी हुई जो प्रार्थी/आपत्तिकर्ता के कब्जे में दिनांक 18–12–1976 से अब तक है एवं हरभजन सिंह का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं कि उक्त भूमि पारिवारिक समझौते के

अनुसार प्रार्थी को मिली है। तद्नुसार निगरानीकर्ता/पुनर्स्थापन प्रार्थी द्वारा वाद को पुनर्जीवित कर गुणदोष के आधार पर निर्णीत किए जाने का अनुरोध किया गया। पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र पर उत्तरदाता संख्या–02/विक्रेता द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 07–09–2010 एवं उत्तरदात्री संख्या–01/वादी द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 24–06–201 को प्रस्तुत की गई। पक्षों की सुनवाई के उपरान्त विद्वान तहसीलदार, विकासनगर द्वारा निर्णयादेश दिनांक 18–04–2016 से पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। निर्णयादेश दिनांक 18–04–2016 के विरूद्व यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत की गई है।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं संगत पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता संख्या–2 व निगरानीकर्ता के मध्य हुए समझौते के आधार पर निगरानीकर्ता के अध्यासन में है अतः उसका नामान्तरण कार्यवाही पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए था एवं कि प्रकरण की उक्त स्थिति के दृष्टिगत निगरानीकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में एक वाद धारा–229बी जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में योजित किया गया है। इसके विपरीत उत्तरदात्री संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–2 आपस में चाहे भाई हों या न हों परन्तु वे वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार नही थे। उत्तरदात्री संख्या–1 ने वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता संख्या–2 से प्रतिफल भुगतान कर क्रय की है जिसके आधार पर उसके पक्ष में नामान्तरण स्वीकार किया गया एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अवसर प्रदान करके ही दिनांक 18–04–2016 को आदेश पारित किया गया है जिसमें अवैधानिकता नही है, कि निगरानीकर्ता द्वारा न केवल एक घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 योजित किया गया अपितु दीवानी न्यायालय में भी वाद योजित किया गया है जो कि लम्बित है एवं कि वादग्रस्त भूमि उत्तरदात्री के नाम नगर पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में भी अंकित है एवं उसके पक्ष में सिंचाई की रसीदें एवं पटवारी की आख्या है।

वादग्रस्त भूमि का उत्तरदाता संख्या–2 हरभजन सिंह एकान्तिक भूमिधर है जैसा कि अवर न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत सम्बन्धित खतौनी की छायाप्रति (यद्यपि साक्ष्य में अग्रहणीय) से स्पष्ट होता है जिस स्थिति से अविवादित रूप से निगरानीकर्ता भी सहमत हैं। उत्तरदाता संख्या–2 द्वारा अपनी भूमि उत्तरदात्री संख्या–1 को विक्रीत की गई यह भी निर्विवादित है। इस स्थिति में नामान्तरण स्वीकार होना ही था। जहां तक अध्यासन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विक्रय पत्र में एतद्सम्बन्धी उल्लेख (citation) ही पर्याप्त है यद्यपि उत्तरदात्री के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के अनुसार उत्तरदात्री का अध्यासन पटवारी की आख्या, नगर पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर एवं सिंचाई रसीदों से प्रमाणित है।

जहां तक निगरानीकर्ता का कथन कि वादग्रस्त भूमि पर पारिवारिक समझौते के आधार पर उसके अध्यासित होने का प्रश्न है उसका यह कथन नही है कि उसने कथित

समझौते के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना नामान्तरण करवाया जबकि पारिवारिक समझौते के आधार पर भी नामान्तरण करवाया जाना आवश्यक है। जब तक कथित समझौते का विधिक क्रियान्वयन नही हो जाता तब तक निगरानीकर्ता को आलोच्य प्रकरण में हस्तक्षेप का अधिकार नही है, तद्नुसार ऐसा कथित पारिवारिक समझौता जो अक्रियान्वित है का कोई संज्ञान आलोच्य प्रकरण में नहीं लिया जा सकता था।

विधिक रूप से नामान्तरण की कार्यवाही संक्षिप्त राजकोषीय कार्यवाही है जो पक्ष विपक्ष के जटिल व गूढ़ स्वत्व का निर्धारण नही कर सकती है। निगरानीकर्ता का स्वयं का कथन है कि उसके द्वारा एक घोषणात्मक वाद पूर्व से ही योजित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में धारा–40क भू0रा0अधि0 का प्राविधान अति स्पष्ट है। नियमित वाद का अंतिम निर्णय नामान्तरण की कार्यवाही पर निर्विवादित रूप से प्रभावी रहेगा।

उक्त के दृष्टिगत निगरानी बलहीन है इसलिए अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश।

निगरानी अस्वीकृत की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **12–02–2018** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)